



प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना

दावा प्रक्रिया

यह योजना संबधित राज्य / केंद्रशासित राज्य क्षेत्र के फसल बिमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किये गए निर्णय के अनुसार चयनित परिभाषित क्षेत्रों में " क्षेत्र दृष्टिकोण " के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बिमा इकाई (आईयु), आधार फसल और परिभाषित क्षेत्र कहा जाता है। इन इकाइयों को प्रमुख फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागु बिमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अन्य सभी फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर आकार की इकाई हो सकती है।

मुख्य दावों का भुगतान क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:

- राज्य को अधिसूचित बिमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की आवश्यक संख्या आयोजित करना है।
- सीसीई आधारित उपज के आंकड़े बिमा कंपनी को संबधित समय सीमा के भीतर संबधित अधिसूचित बिमा इकाई क्षेत्र के दावों की गणना करने के लिए जमा किया जायेगा।

फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल के नुकसान के कारण होनेवाले जोखिम भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

- A. निष्फल बुवाई / रोपण जोखिम:** निष्फल बुवाई / रोपण जोखिम, प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों जैसे की कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में बीमाकृत फसलों की व्याप्तता बुवाई / रोपण से निष्फल होती है तो बीमाकृत फसलें बीमित राशि के अधिकतम 25% तक के लिए क्षतिपूर्ति दावों के लिए योग्य होगी।
- I. आच्छादन:** प्रारंभिक चरण में अधिसूचित इकाई में बोए गए 75% से अधिक क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाले जोखिमों की व्यापक घटनाओं, जिससे फसल की सम्पूर्ण क्षति या किसान फसल बुवाई या प्रत्यारोपण की स्थिति में नहीं होता है (या) कम या अतिरिक्त बारिश के कारण फसल की बुवाई या अंकुरण नहीं हो पाता; के मामले में किसानों पर आच्छादन लागू होता है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited).

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.

II. पात्रता मापदंड

केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है / नुकसान से पूर्व उनके खतों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

राज्य सरकार मौसम की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित बीमाकृत इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्रफल उपलब्ध कराएगी।

"बाधित बुवाई / रोपण" का तभी भुगतान होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक बोया गया क्षेत्र उपरोक्त किसी भी जोखिम की घटना के कारण बुवाई रहित हो गया हो।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

- आच्छादन केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
- कुल बिमा राशि के 25% का भुगतान होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।

नोट: बीमा कंपनी राज्य सरकार की अधिसूचना/आदेश के 30 दिनों के भीतर दावों का भुगतान करेगी, इस कवर के तहत पे-आउट का बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम सब्सिडी के अंतिम सरकारी हिस्से की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना किया जाएगा।

B. खड़ी फसल की (बुवाई से कटाई): गैर-रोकथाम वाले जोखिमों के कारण उपज हानि को आच्छादित करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जैसे सूखे, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जलप्लावन किट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, आंधी और समुद्री तूफान।

- I. **ऑन अकाउंट:** खड़ी फसल के लिए मध्यावधि प्रतिकूल स्थितियों के दावों का ऑन अकाउंट भुगतान तभी लागू है, यदि बाढ़, दीर्घकालिक सूखा अवधि, गंभीर सूखा इत्यादि, जहां अनुमानित उपज 50% से कम होगी।
- II. **किसानों के लिए योग्यता मानदंड:** जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है या नुकसान से पूर्व जिनके खातों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited).

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.

नोट:

1. यदि सामान्य फसल के समय से 15 दिन पहले विपत्ति होती है। तो यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।
2. प्रॉक्सी इंडिकेटर के आधार पर क्षति अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रावधान लागू किया जाता है।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

संयुक्त हानि आकलन सरकार के साथ किया जाता है और यदि लागू होता है तो ऑन-अकाउंट भुगतान की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\text{(श्रेसहोल्ड उपज - अनुमानित उपज)} \times \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

श्रेसहोल्ड उपज

नोट: अधिकतम देय राशि संभावित दावों की 25% होगी, अंतिम दावों के खिलाफ समायोजन के अधीन।

IV हानि मूल्यांकन और रिपोर्ट जमा करने के लिए समय सिमा:

सरकार द्वारा क्षति के ७ दिनों के भीतर खाता हानि विवरण (अकाउंट लोस डिटेल्स) की पात्रता प्रदान की जाएगी. क्षति का आकलन क्षति के बाद १५ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा चालू खाता भुगतान सरकार की सब्सिडी (दूसरी किस्त) के अंतिम हिस्से की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना वितरित किया जाएगा.

C. फसल- कटाई बाद के नुकसान: आच्छादन केवल उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह तक उपलब्ध है, जिन्हे ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों के खिलाफ कटाई के बाद क्षेत्र में सूखने और फ़ैलाने की स्थिति में रखा जाता है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited).

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.



I. पुरे देश में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और अनियमित बारिश के कारण क्षेत्र में "कटी और फैली हुई स्थिति में" जिसके परिणामस्वरूप कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचा हो कटाई की तारीख से सूखने के उद्देश्य से अधिकतम अवधि दो सप्ताह (14 दिन) है।

II. पात्रता मापदंड:

केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है / नुकसान से पूर्व उनके खतों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

कटाई उपरांत 14 दिनों तक विनिर्दिष्ट खतरों से क्षति हो जाती है।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

क्षति उपरांत किसान को 72 घंटे के भीतर हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर सूचना उपलब्ध करनी होगी और सूचना में खसरा संख्या-वार बीमाकृत फसल और प्रभावित क्षेत्र का विवरण होना चाहिए।

किसानों को बाद में दावों के भुगतान के लिए जरूरी सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भरे हुवे दवा प्रपत्र को भी उपलब्ध करना चाहिए।

क्षति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की जाएगी और मूल्यांकन निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पादित किया जायेगा, जिसके बाद योजना मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन, क्षति मूल्यांकन आख्या को अंतिम रूप देने के बाद दावों का निपटारा किया जाएगा।

D. **स्थानीय आपदा:** अधिसूचित क्षेत्र में अलग खेतों को प्रभावित करने वाले, स्थानीयकृत जोखिमों ओलावृष्टि, भूस्खलन जलभराव, आकाशीय बिजली के कारण प्राकृतिक आग एवं बादल फटने की पहचान की घटना से होने वाली हानि / क्षति।

I. यदि फसल का नुकसान किसी भी स्थानीयकृत जोखिमों / आपदाओं जैसे भूस्खलन जलभराव, ओलावृष्टि, बदल फटना और आकाशीय बिजली से आग के कारण होता है जो एक अधिसूचित इकाई या एक भूखंड को प्रभावित करता है तो किसान स्थानीयकृत आपदा के लिए दावा करने योग्य है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited).

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.



II. **पात्रता मापदंड:** केवल वे किसान जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है / नुकसान से पूर्व उनके खातों से प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है, दावा कर सकते हैं।

नोट: बीमित राशि के अधीन, अधिकतम भुगतान निवेश की लागत के अनुपात में होगा, जो बीमाकृत जोखिम की घटना तक हुआ है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कवर के तहत पे-आउट कम से कम अग्रिम प्रीमियम सब्सिडी की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनी द्वारा वितरित किया जाएगा।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

क्षति उपरांत किसान को 72 घंटे के भीतर हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700 पर सूचना उपलब्ध करनी होगी और सूचना में खसरा संख्या-वार बीमाकृत फसल और प्रभावित क्षेत्र का विवरण होना चाहिए।

किसानों को बाद में दावों के भुगतान के लिए जरूरी सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भरे हुवे दावा प्रपत्र को भी उपलब्ध करना चाहिए।

क्षति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की जाएगी और मूल्यांकन निर्धारित समय सिमा के भीतर सम्पादित किया जायेगा, जिसके बाद योजना मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन, क्षति मूल्यांकन आख्या को अंतिम रूप देने के बाद दावों का निपटारा किया जायेगा।

नोट: युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोकथाम वाले जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नुकसान को बाहर रखा जायेगा।

दावा प्रपत्र डाउनलोड करें - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

महत्वपूर्ण लेख:

उपरोक्त उल्लिखित घटनाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए, किसान को हमारी कंपनी से संपर्क करना चाहिए तथा सर्वेक्षण संख्या-वार बीमाकृत फसल एवं प्रभावित क्षेत्र तथा बैंक / मध्यस्थ /

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited).

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.



सीएससी केंद्रों को दिए गए प्रीमियम भुगतान सत्यापन विवरण के साथ होने वाली घटना के 48 घंटों के भीतर नुकसान की सूचना देनी चाहिए।

स्थानीय समाचार पत्र की कटिंग एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य जो हानि की घटना और हानि की गंभीरता को साबित करने के लिए यदि लागू होने के रूप में हों, को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

1. किसान 1800 266 0700 पर हमारे पास पहुँच सकते हैं और जैसे ही नुकसान हुआ है अपडेट करें।
2. किसान जिला कृषि कार्यालय तक भी पहुँच सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि को जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।
3. किसान अपने संबंधित बैंकों तक भी पहुँच सकते हैं।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited (Formerly HDFC General Insurance Limited).

Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Customer Service Address: D-301, 3rd Floor, Eastern Business District (Magnet Mall), LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Customer Service No: 022 - 6234 6234 / 0120 - 6234 6234 | care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. CIN: U66030MH2007PLC177117. IRDAI Reg. No.146.